उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या- 241/2015/1338/38-1-2015-11 टी0आर0/2015
लखनऊ: दिनांक:06 जुलाई, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-588-बी/स्था0प्र0/2015, दिनांक 24.06.2015 द्वारा सुश्री सावित्री देवी, खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का खण्ड विकास अधिकारी, कौशाम्बी के पद पर किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उक्त कार्यालय- आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

<u>संख्या- 241/2015/1338(1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, इलाहाबाद ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़/ कौशाम्बी।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़/ कौशाम्बी।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in